

30/7/19
30/7/19
30/7/19

परिशिष्ट

पत्रावली पेज 57। तबाल इतना पक्ष उपस्थित। मामले में
इतना पक्ष के विधान आनेवालों की वक्त पूरी गई।
कौन्सिल पक्ष की विभाजन के संबंध में कोर्टों के कि
वादात्मक शक्ति सड़क सीमा के लगी है। सड़क पर सह-
स्वातंत्र्य को भी इसके निर्दितांश के अनुपात में शक्ति
कोई प्रदुंच मिलना न्यायसंगत है। कौन्सिलीक निर्णय से
फिर गए विभाजन से रोकोर्ट को पूरी सड़क के समान
शक्ति देकर कौन्सिल को पीछे वाला भाग दे दिया गया है
जो विभाजन के लिए निर्धारित सीमाओं को निर्देशों के
विपरीत है, जो निरस्त करने योग्य है स्वील स्वीकार
कर सड़क पर अनुपातिक रूप में शक्ति दी जावे।

रोकोर्ट तबाल ने बताया कि मौके पर
शक्ति को विभाजन कौन्सिल पक्ष द्वारा चारों अनुपात
ही विभाजित है। न्यायालय चारों तरफ की सुरक्षा
कावा है। यदि मौके पर विभाजन से विपरीत स्थिति
पाई जाती है, कौन्सिल की स्वील स्वीकार की जा
सकती है। मौके पर यदि सड़क के लगवत कौन्सिल
पक्ष को इसके हिस्से के अनुपात में शक्ति ली
दी गई है तो वाड सत्ताप/शक्ति, कौन्सिल के
कालन रुठी है तो तदनुसार विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट
पर लिखा जाकर निर्णय किया जाने तो उन्हें कोई
झांपति ली है।



अं अ निरीक्षक मोनलसर एवं परवारी मोतीमरा
टेलीफोनिक वार्ता का उन्हें सत्ताप हेतु मौके पर भेजा
गया। मौके पर सत्तापित हुआ कि निर्णय के तहत फिर गए
व्यवस्था में कौन्सिल पक्ष को सड़क पर शक्ति ली दी गई है।
इसलिए विभाजन के सिद्धांतों की पालना में मौके से
विभाजन उत्राव मंगवाया जो अधिष्ठ वाटसैप प्राप्त हुआ,
जिसे शामिल मित्र किया। एका कालेका किया।
कौन्सिल पक्ष के एक-दिले की (अनुसिक्त) आनुपातिक रूप
से "रोजिनों की टाणी से खण्डप जैवल रौड़ पर" शक्ति
विभाजन में देते हुए शेष 72 शक्ति रोकोर्ट सं० 1 के हिस्से
में रखी। इस प्रकार प्राप्त विभाजन उत्राव 'परिशिष्ट 2' की
इतना पक्ष की वक्त वंश सत्ताप की कार्यवाही के क्रम में
रिपोर्ट पर लिखा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
वाडमेर

अपील कौन्सिल आंशिक रूप से स्वीकार की
जाकर कौन्सिलीक निर्णय कि 10.4.2017 में कोशिक संशोधन
का इसके सैलास स्वील विभाजन उत्राव मंद तका खरिन का
निष्पत्ताप मौके से प्राप्त विभाजन उत्राव 'परिशिष्ट 2', जो
एक निर्णय का कोशिक हुआ है, स्वीकार किया जाता है। तदनुसार
सिवाना 'परिशिष्ट 2' के इतरकि लटका नकशा में तदनुसार
कार एके पुरवका कर पालन में पठावे। निर्णय हुआ।
पत्रावली अपील देकर तदनुसार है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
वाडमेर




राजस्थान सरकार
 राजस्व विभाग, जयपुर
 जयपुर - 302002

अपील नं० 042/2019 JH 213 RTI Act
 जयपुर जिला न्यायाधीश न्यायाधीश
 जयपुर

पारिशिष्ट क्र०
 विभागत शताव
 निर्णय दिनांक 30/7/19

बाद सत्यापन
 प्रत्याधिक निर्णय
 संलग्न पत्रावली द्वारा जना।





30/7/19
 राजस्व अपील प्राधिकारी
 बाइमेर

सत्य-प्रतिलिपि
 राजकीय प्रयोजनार्थ निःसुद्ध जारी।

30/7/19
 पटवारी मोतीसुश

श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय बाइमेर से
 दूरभाष पर आज दिनांक 30-7-2019 को हुई बात एवं निर्देशानुसार
 बाड़ी एवं उद्विवादीगण नारायणसिंह, देवसिंह, मूलसिंह का हिस्सा
 रोजियों की द्वाली से खण्ड गेबल रोड पर लक्ष्मी का हिस्सा बराबर देने हे
 होने पर उपरोक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर श्रीमान को सिताये
 उचित है।

संकेत

-  नारायणसिंह
-  देवसिंह, मूलसिंह

30/7/2019
 J.R. भाइलकर

30.7.19
 पटवारी मोतीसुश